

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1405]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2013/ज्येष्ठ 28, 1935

No. 1405]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2013/JYAISTHA 28, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2013

का.आ.1744(अ).—जबिक केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना-2021 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से तीस दिनों के अंदर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ.सं. 2871 (ई(दिनांक 11.12.2012 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था |

- 2. जबिक, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपितयों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए "जांच एवं सुनवाई बोर्ड" द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था |
- 3. जबिक, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।
- 4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्निलिखित संशोधन करती है:

संशोधन

पैरा 4.2.2.1 (ग) के बाद एक नया पैरा 4.2.2.1 (घ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

4.2.2.1 (घ) कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र

शहरी विस्तार क्षेत्रों में अधिकतर फार्म हाउस उन जगहों पर स्थित हैं, जहां पर भू-जल या तो समाप्त हो चुका है या फिर समाप्त होने की स्थित में है | इसके अतिरिक्त, आवासीय सघनता की बहुलता और जलापूर्ति, जल निकासी, सीवरेज, पार्किंग आदि जैसी नागरिक आधारभूत संरचना पर ऐसे क्षेत्रों में पर्यावरणीय दृष्टि से अतिरिक्त भार भी अवांछनीय हैं | अतः विद्यमान फार्म हाउस समूहों और गांवों को "कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों" के रूप में अधिसूचित किया गया है (गांवों की सूची अनुलग्नक-। में संलग्न है) | हिरत क्षेत्रों में आने वाले गांवों में कम घनत्व वाले आवासीय प्लॉटों को भी अनुमित दी गयी है (हिरत क्षेत्रों में गांवों की सूची अनुलग्नक -।। में संलग्न है) |

[फा.सं. के-2008/3/12016-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

अनुलग्नक-1

शहरी विस्तार में कम घनत्व वाले रिहायशी क्षेत्र (एल डी आर ए(के रूप में घोषित गांवों की सूची :

| शहरा | विस्तार में कम घनत्व वाल रिहायशा क्षेत्र | (एल डी आ | र ए(के रूप व |
|------|--|----------|---------------|
| 1. | सयूरपुर* | 16. | घिटोरनी* |
| 2. | सतबड़ी* | 17. | रंगपुरी* |
| 3. | छतरपुर | 18. | होलम्बीखुर्द |
| 4. | खानपुर | 19. | बाकोली |
| 5. | देवली* | 20. | बक्तावरपुर |
| 6. | भाटी* | 21. | हिरनकी |
| 7. | फतेहपुरबेरी* | 22. | बिजवासन |
| 8. | असोला* | 23. | बामनोली |
| 9. | जौनापुर | | |

15. समालखा

टिप्पणी

10.

11. 12.

13.

14.

चन्दलहोला गदईपुर

सुल्तानपुर महरौली*

रजोकरी

- i. यदि मैट्रो कोरिडोर एल डी आर ए गांवों में से होकर निकलता है तो टी ओ डी नीति के अनुसार एल डी आर ए गांवों में मैट्रो कोरिडोर और मैट्रो प्रभाव जोन के साथ विकास की अनुमति होगी |
- ii. क्रम सं. 1 से 5 तक उल्लिखि र 5 गाँवों के कम सघनता वाले आवासीय क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा लागू की गई संबंधित शर्तों के अधीन होंगे |
- iii. *वे गाँव, जिनमें कम सघनता वाले आवासीय विकास को, क्षेत्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकती है |

- iv. उपर्युक्त गाँवों में आने वाले किसी भी अनुमोदित लेआउट/स्कीम को दिल्ली मुख्य योजना-2021 के विकास कोइ के खण्ड 3(4) के अंतर्गत अनुमोदित समझा जाएगा |
- v. "गाँव" शब्द का अभिप्राय "राजस्व गाँव सीमा" से है |

अन्लग्नक - II

हरित पट्टी में आने वाले गांवों की सूची, जिनमें कम घनत्व वाले रिहायशी प्लॉटों की अनुमति है :

| क्र.सं. | योजना जोन | गांव का नाम | | |
|---------|-----------|--|--|--|
| (1) | जोन जी | 1. बिजवासन (भाग) 2. कापसहेडा 3. सलाहपुर | | |
| (2) | जोन जे | 4. रजोकरी (भाग) | | |
| (3) | जोन के-II | 5. बामनोली (भाग) 6. बिजवासन (भाग) | | |
| (4) | जोन एल | 7. बडुसराय 8. बक्करगढ़ 9. देवराला 10. ढांसा 11. गालिबपुर 12. घुम्मनहेडा 13. ईसापुर | | |
| | | 14. जैनपुर 15. झडोदाकलां (भाग) 16. झटीकरा 17. कैर 18. कंगनहेडी 19. मित्रऊ 20. | | |
| | | मुंधेलाकलां 21. मुंधेलाखुर्द 22. नानखेड़ी 23. राधोपुर 24. राउता 25. शिकारपुर 26. | | |
| | | सुरेखपुर (भाग) 27. टिकरीकलां (भाग) | | |
| (5) | जोन पी-I | 28. बाकनेर 29. घोघा 30. लामपुर 31. ममुरपुर | | |
| (6) | जोन पी-11 | 32. हमीदपुर 33. झंगोला 34. पल्ला 35.सिंघु 36. ताजपुरकलां | | |
| (7) | जोन एन | 37. औचंदी 38. मुंगेशपुर 39. कुतुबगढ़ 40. खोड पंजाब | | |
| | | 41. चतेसर 42. जौंटी 43. गढ़ी रिंधाला 44. निजामपुर-रशीदपुर 45. टिकरी कलां (भाग) | | |
| 1. | | 46.हरोली | | |
| (8) | जोन ई | 47. मंडोली | | |

स्रोतः क्षेत्रीय विकास योजना-2021 के अनुसार |

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2013

- **S.O.1744(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned here under were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice (addendum) vide S.O. No. 34 (E) dated 3.1.13 (in supersession of Addendum issued vide Public Notice S.O. No. 2871 (E) dated 11.12.12) by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within ninety days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by a Board of Enquiry and Hearing, set up by Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
- 3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

A new para at 4.2.2.1 (D) is inserted after para 4.2.2.1 (C) as under:

4.2.2.1 (D) LOW DENSITY RESIDENTIAL AREA

The majority of Farm Houses in the urban extension areas are located on lands where ground water has already been severely depleted or close to such depletion. Further, intensification of residential density and heavy additional load on civic infrastructure such as water supply, Drainage, Sewerage, Parking, etc. is highly undesirable in such areas from environmental considerations. Therefore, Villages containing existing farm houses clusters are notified as "Low Density Residential Area" (list of village at Annexure-I). Low Density Residential Plots are also allowed in the village falling in Green belt (List of villages in Green Belt at Annexure-II).

[F. No. K-12016/3/2008-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE-I

List of villages declared as Low Density Residential Area (LDRA) in Urban Extension:

| 1. | Sayurpur* | 13. | Mehrauli* |
|-----|---------------|-----|--------------|
| 2. | Satbari* | 14. | Rajokri |
| 3. | Chattapur | 15. | Samalkha |
| 4. | Khanpur | 16. | Ghitorni* |
| 5. | Devli* | 17. | Rangpuri* |
| 6. | Bhatti* | 18. | HolambiKhurd |
| 7. | FatehpurBeri* | 19. | Bakoli |
| 8. | Asola* | 20. | Bakatawarpur |
| 9. | Jounapur | 21. | Hiranki |
| 10. | Chandan Hula | 22. | Bijawasan |
| 11. | Gadaipur | 23. | Bamnoli |
| 12. | Sultanpur | | |

Note:

- i. In case if Metro Corridor is passing through villages in LDRA, development along Metro Corridor and Metro Influence zone shall also be allowed in LDRA villages as per TOD Policy.
- ii. Low Density residential area in 5 villages mentioned at Sr. No. 1 to 5 shall be subject to relevant stipulations imposed by the Authority arising from Supreme Courts orders.
- iii. *Villages where low density residential development may be allowed in the areas other than those falling under Regional Park.
 - iv. Any approved Layout/scheme falling in the above villages shall be deemed to have been approved under Clause 3(4) of Development Code of MPD-2021.
 - v. The term "Village" refers to "Revenue Village Boundary".

ANNEXURE-II

List of villages in Green Belt where Low Density Residential Plots are permitted :

| Sl.No. | Planning Zone | Name of \ | Village |
|-------------------------|--|-----------|---------------------|
| (1) | Zone G | 1. | Bijwasan (Part) |
| | | 2. | Kapashera |
| | | 3. | Salahpur |
| (2) | Zone J | 4. | Rajokri (Part) |
| (3) | Zone K-II | 5. | Bamnoli (Part) |
| A STATE OF THE STATE OF | | 6. | Bijwasan (Part) |
| (4) | Zone L | 7. | Badusaria |
| | | 8. | Bakargarh |
| | | 9. | Deorala |
| | | 10. | Dhansa |
| | | 11. | Ghalibpur |
| | | 12. | Ghumanhera |
| | | 13. | Isapur |
| | | 14. | Jainpur |
| | | 15. | JharodaKalan (Part) |
| | a | 16. | Jhatikara |
| | | 17. | Kair |
| | | 18. | Kanganheri |
| | | 19. | Mitraon (Part) |
| | ₩.° | 20. | MundhelaKalan |
| | | 21. | MundhelaKhurd |
| * | | 22. | Nanakheri |
| | | 23. | Raghopur |
| | No. of the last of | 24. | Rauta |
| | The second of the second | 25. | Shikarpur |
| | | 26. | Surekhpur (Part) |
| | | 27. | TikriKalan (Part) |
| /E\ | Zone P-I | 28. | Bakaner |
| (5) | 2011e P-1 | 29. | Ghoga |
| | | 30. | Lampur |
| | | 31. | Mamurpur |
| (6) | Zana D.II | 32. | Hamidpur |
| (6) | Zone P-II | 33. | |
| | | 34. | Jhangola Palla |
| | | 35. | |
| | | 1 | Singhu |
| (=) | | 36. | Tajpurkalan |
| (7) | Zone N | 37. | Auchandi |
| | | 38. | Mungeshpur |
| | | 39. | Qutabgarh |
| | | 40. | Khor Punjab |
| | | 41. | Chatesar |
| | | 42. | Jaunti |
| | | 43. | GarhiRindhala |
| | The second secon | 44. | Nizampur-Rashidpur |
| | | 45. | TikriKalan (Part) |
| | | 46. | Hareoli |
| (8) | Zone E | 47. | Mandoli |

Source: As per Zonal Development Plan-2021.